उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-51/2016/एस-2-2617/दस-2016-88क(1)/2016
लखनऊ :: दिनॉक:: 28 दिसम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के कॉलम संख्या-2 में उल्लिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है
1	2	3
1	श्री अजय कुमार द्विवेदी, अपर आयुक्त (वित्त) राजस्व परिषद, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।	वित्त नियंत्रक, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
2	श्री श्रीनाथ सिंह कुशवाहा, मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ।	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आजमगढ मण्डल आजमगढ।

2- संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-51/2016/ एस-2-2617(1)/दस-2016, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी विकास/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त/सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- उपाध्यक्ष/सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।
4- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी/आजमगढ ।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, आजमगढ् मण्डल, आजमगढ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

8- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/आजमगढ।

9- संबंधित अधिकारीगण।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanades.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।